

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 21 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला **अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी** के माह 10/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 तथा श्री नन्दन, लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में दिनांक 06.07.2018 से 09.07.2018 तक सम्पादित किया गया।

### **भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** प्रथम लेखा परीक्षा

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 6/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

- (ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- **अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल , हल्द्वानी** में नलकूप एवं लिफ्ट योजना के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र नलकूप खंड हल्द्वानी, बाजपुर एवं टनकपुर। इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है ।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ` (लाख मे)	बचत (-) ` (लाख मे)
	स्थापना (लाख मे)	गैर स्थापना (लाख मे)	आवंटन (लाख मे)	व्यय ` (लाख मे)	आवंटन (लाख मे)	व्यय (लाख मे)		
2015-16	-	-	-				-	
2016-17	-	-	116.80	111.45	-	-	-	5.34 समर्पित
2017-18	-	-	113.40	106.77	-	-	-	6.62 समर्पित
2018-19 (upto 06/2018)			87.10	26.03	-	-	-	61.06

- अवशेष धनराशि वर्षांत में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है: (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-) `
2015-16	<b>शून्य</b>				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता (यांत्रिक)
4. अधीक्षण अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 व 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

- a. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।
3. खंड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी **लागू नहीं** तक की गयी।
4. फार्म-51 माह तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं :  
**लागू नहीं**  
भाग प्रथम:..रु  
भाग द्वितीय: रु
5. खंड के उच्चतम लेखों का अवशेष माह **लागू नहीं** . के अंत में  
(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम :  
(ख) सामग्री क्रय : NIL  
(ग) नगद परिशोधन :  
(घ) निक्षेप :  
(ङ) भंडार :

## भाग-2 (ब)

**प्रस्तर -1: वित्तीय स्वीकृति के 03 वर्षों बाद भी 04 लिफ्टों का कार्य अपूर्ण रहना।**

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2018) कि मण्डल के अंतर्गत खंडों में विधानसभा क्षेत्र के लोहाघाट एवं चंपावत में 04 लिफ्ट निर्माण योजना के लिए जिला योजना के अंतर्गत ₹ 665.14 लाख की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2014-15 (एमपीआर जून 2018 के अनुसार) में प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र ₹ 263.23 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी तथा स्वीकृति के 03 वर्षों के बाद भी न केवल कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके थे अपितु अधिकतर कार्य 50% से भी ज्यादा अवशेष थे जिससे जनलोक उक्त लाभ से वंचित थे।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर मण्डल द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुये उत्तर में बताया गया कि पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने से कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका जिसे आगामी वर्षों में पूर्ण करा लिया जाएगा।

मण्डल के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा उक्त लिफ्टों का निर्माण समय से नहीं करवाया जा सका जबकि मण्डल द्वारा उक्त योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु किए गए प्रयासों से संबन्धित कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं किए जा सके, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

**प्रस्तर-1 : 24 फेल नलकूपो का 02 से दस वर्षो बाद भी असंचालित रहना**

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (जुलाई 2018) कि मण्डल के अंतर्गत स्थित 03 खंडो (हल्द्वानी, बाजपुर एवं टनकपुर) मे कुल 679 नलकूपो का निर्माण कराया गया था जिनमें से मात्र 628 नलकूपो का ही संचालन किया जा रहा था तथा 27 नलकूपो का परित्याग किया गया था जबकि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2016-17 के मध्य फेल हो गयी थी। किन्तु खंड द्वारा वर्तमान तक उक्त फेल नलकूपो का न तो जीर्णोद्धार किया गया था और न ही उसका परित्याग किया गया था जिससे सिंचन क्षमता पर विपरीत प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर मण्डल द्वारा उत्तर मे बताया गया कि उक्त फेल नलकूपो के पुनः निर्माण हेतु धनराशि की मांग की जा रही है तथा उक्त नलकूपो के निर्माण न होने से अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक लागत पर सिंचाई कि जा रही है।

अतः मण्डल के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा नलकूपो के 02 वर्ष से दस वर्ष कि अवधि तक खराब या फेल होने के बावजूद उक्त का पुनः निर्माण नहीं किया गया जिससे सिंचन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
<b>प्रथम लेखापरीक्षा</b>			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लागू नहीं				

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

## **भाग-V**

### **आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) Nil

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	पदनाम	अवधि
श्री डी0 सी0 सनवाल	अधीक्षण अभियंता	30.09.2016

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
आर्थिक क्षेत्र-II**